

कार्यालय उपायुक्त, ऊना, जिला ऊना (हिमाचल प्रदेश)

कार्यालय आदेश

प्रायः यह देखा गया है कि स्कूल बसों के चालक बच्चों को बस में बैठाने के उपरान्त डीज़ल भरवाने के लिए पेट्रोल पम्प पर बसें खड़ी करते हैं जो कि उचित नहीं है। अतः सभी सरकारी व निजी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को यह आदेश दिए जाते हैं कि किसी प्रतिकूल दुर्घटना से बचाव हेतु इस प्रथा को तुरन्त प्रभाव से बन्द किया जाए। आदेशों की पालना न करते हुए यदि भविष्य में ऐसा पाया गया तो बस के चालक और परिचालक के साथ-साथ स्कूल के प्रधानाचार्य के विरुद्ध भी कड़ी कार्यवाई अमल में लाई जाएगी।

राकेश कुमार प्रजापति, भा0प्र0से0
उपायुक्त, ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)

पृष्ठांकन सं0 7338-46 / विविध शाखा

दिनांक 27-05-2019

प्रतिलिपि :

1. पुलिस अधीक्षक, ऊना को सूचनार्थ व उचित आवश्यक कार्यवाई हेतु ।
2. उपमण्डलाधिकारी (ना0), ऊना, हरोली, अम्ब तथा बंगाणा को भेज कर अनुरोध है कि अपने-अपने उपमण्डल में यह सुनिश्चित करें कि बच्चों से भरी बसें पेट्रोल पम्पों पर खड़ी न हों ।
3. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, ऊना को भी सम कार्यवाई हेतु ।
4. जिला नियन्त्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले ऊना को प्रेषित करके अनुरोध है कि ऊना जिला में स्थापित समस्त पेट्रोल पम्प मालिकों को आदेश जारी करें कि जब स्कूल बस में बच्चे बैठें हों, उस बस में डीज़ल न भरा जाए तथा उक्त आदेशों की पालना नियमित रूप से सुनिश्चित की जाए ।
5. उप निदेशक, उच्च शिक्षा तथा प्राथमिक शिक्षा, ऊना को प्रेषित करके अनुरोध है कि उपरोक्त आदेशों की पालना पूर्णतया सुनिश्चित की जाए ।


उपायुक्त, ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)

Endst. No: - EDN-U (G-IIR) Misc./Vol-4/2019/- 12053

Office of the Deputy Director of Higher Education,
UnaDistt. Una (HP).

Dated Una 03 June, 2019

ALL The Principals/ Headmasters of Govt. Senior Secondary Schools /
Govt. High Schools / Private Schools in Una District for information and necessary
action.


Dy. Director of Higher Education,
Una Distt. Una (HP).